परिशिष्ट "अ"

Q. No-21

कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर

(लायसेंस विभाग)

पूरक जानकारी

नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 21 एवं 22 दिनांक 09/03/2000 में दी गई स्वीकृती अनुसार व्यवसायिक लायसेंस वर्ष 2000-2001 से जारी किए जा रहे है। जिसके अंतर्गत हॉस्टल के रजिस्टर्ड लायसेस की कुल संख्या 881 है।

हॉस्टल के व्यवसायिक लायसेंस तीन श्रेणीयो के अंतर्गत जारी किए जाते है जिसमें वर्तमान में हौस्टल 10 कमरे तक लायसेंस शुल्क 1000/- रुपए एवं 20 कमरे तक लायसेंस शुल्क 2000/- रुपए तथा 30 कमरो तक के लिए 5000/- रुपए लायसेंस शुल्क निर्धारित है।

नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 366 के अंतर्गत व्यवसायिक लायसेंस जारी किए जाते है। अधिनियम की धारा 366 अनुसार नगर निगम सीमा मे स्थित प्रत्येक व्यवसायिक संस्थान को नगर पालिका निगम इन्दौर से व्यवसायिक लायसेंस (अनुज्ञा) ली जाना अनिवार्य है। नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा वर्ष 2000-2001 से निगम परिषद की स्वीकृति अनुसार व्यवसायिक लायसेंस जारी किए जा रहे है। जिसके अंतर्गत हॉस्टल/छात्रावास हेतु भी लायसेंस जारी किए जाते है। जो कि प्रत्येक वितीय वर्ष हेतु जारी किए जाते है। जिसकी समयावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित होती है, एवं आवेदक द्वारा आवेदन एवं निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्धारित लायसेंस शुल्क लिया जाकर लायसेंस जारी किया जाता है। जो कि प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना होता है। निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण नही करवाए जाने की स्थिती में मय सरचार्ज लिया जाकर लायसेंस का नवीनीकरण किया जाता है एवं समय समय पर नगर निगम इन्दौर द्वारा संबंधित व्यवसाईयो को सूचना पत्र भिजवाए जाकर लायसेंस नवीनीकरण करवाने की सूचना भी दी जाती है।

सहायक आयुक्त
(लायसेंस विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग